35

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र0 निग 439/II/16 सन् 2015

1. हरिशंकर चौबे
2. श्यामबिहारी चौबे
3. कृष्णकान्त चौबे
4. देवकीनंदन चौबे
5. छुट्टन चौबे
6. रामप्रताप चौबे

पुत्रगण श्री विन्द्राबन चौबे

निवासी ग्राम – घुन्चू, तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 ..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. गोविन्ददास मिश्रा
2. खिलानन्द मिश्रा

पुत्रगण हरप्रसाद उर्फ हल्के मिश्रा
निवासीगण ग्राम –बरेठी तहसील राजनगर

3. लक्ष्मीकान्त मिश्रा
4. सुमित्रा सरपंच ग्राम पंचायत घुन्चू तहसील राजनगर जिला छतरपुर
5. शासन मध्यप्रदेश ..... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजनगर के अपील प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2016 से दुःखी होकर ।

महोदय,

आवेदकगण /निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करता है:–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि ग्राम घुन्चू तहसील राजनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 299 रकवा 0.425 हे0 जो म0प्र0 शासन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि ग्राम की आबादी भूमि से लगी हुई भूमि है जिसके अंशभाग पर अपीलार्थीगण का पुस्तैनी मकान बना हुआ है एवं

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-439-दो/2016 जिला छतरपुर हरिशंकर विरूद्ध गोविंददास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 91/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13-01-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-02-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

06/02/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 06/02/19
सदस्य